भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1903

जिसका उत्तर 13 मार्च, 2023/22 फाल्गुन, 1944 (शक) को दिया गया

शिक्षा ऋण

1903. डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री कुलदीप राय शर्मा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शिक्षा ऋण के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड और ब्याज का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि बैंक शैक्षिक ऋणों के लिए प्रतिभूति और जमानत की मांग कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे गरीब पात्र छात्र प्रभावित हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि बैंक व्यावसायिक ऋणों की तरह शैक्षिक ऋणों पर भी उच्च ब्याज दर वसूल रहे हैं, यदि हां, तो शिक्षा ऋणों की ब्याज दरों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ड.) क्या सरकार शैक्षिक ऋणों पर केन्द्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी योजना भी लागू कर रही है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य और संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार में इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले ऐसे छात्रों की संख्या कितनी रही?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (घ): भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचित किए गए अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) मॉडल शिक्षा ऋण योजना, 2021 का अनुसरण करते हैं, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, पात्रता मानदंड, ऋण के लिए पात्र पाठ्यक्रम, वित्त की मात्रा, प्रतिभूति और मार्जिन, ब्याज दर आदि के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश शामिल हैं और बैंक व्यापक रूप से उपर्युक्त योजना द्वारा निर्देशित होते हैं।

इसके अतिरिक्त, उक्त योजना के अनुसार आधार दर/निधियों के सीमांत लागत पर आधारित ब्याज दर/बाह्य बेंचमार्क पर आधारित ब्याज दर से संबद्ध दर पर अलग-अलग बैंकों द्वारा यथा निर्धारत ब्याज दर प्रभारित की जाती है। बैंक पाठ्यक्रम/संस्थाओं की रेटिंग के आधार पर विभेदक ब्याज दर प्रभारित कर सकते हैं।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा ऋणों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएफएसईएल) से संबंधित कार्यों को देखता है। इस योजना के अनुसार भारतीय बैंक संघ (आईबीए)-मॉडल

शिक्षा योजना के अंतर्गत कवर किए गए शिक्षा ऋणों के लिए 7.5 लाख रुपए तक की राशि के लिए बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति और तृतीय पक्ष गारंटी के ऋण गारंटी दी जाती है।

(ङ): शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए ऋणों के माध्यम से 10 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सहायता (सीएसआईएस) योजना का शुभारंभ किया है।

नोडल बैंक अर्थात् केनरा बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विगत तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र और अंडमान एवं निकोबार संघ राज्य क्षेत्र के छात्रों, जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया है, की संख्या निम्नानुसार है:

दावा वर्ष	**दावों की संख्या #**	
	महाराष्ट्र	**अंडमान एवं निकोबार**
2018-19	35,757	67
2019-20	33,071	54
2020-21	20,497	31
2021-22*	24,753	32
* वर्ष 2021-22 से संबंधित ब्याज सहायता के लिए दावा करने हेतु बनाया गया पोर्टल वित्तीय वर्ष 2022-23 में दावे प्रस्तुत करने के लिए अभी भी खुला है, फरवरी 2023 तक प्राप्त दावे।		
स्रोत: केनरा बैंक		

वर्ष 2018-19 और 2021-22 के बीच कुल स्वीकृत दावों की प्रतिशतता के मामले में अंडमान एवं निकोबार संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा लगभग 0.01% बना रहा जबकि महाराष्ट्र का हिस्सा 6.71% से बढ़कर 9.16% हो गया है।

*****